

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., तन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
15-9-14	<p style="text-align: center;">आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील संख्या-449/2012 नागेश्वर पासवान अपीलकर्ता बनाम अगम लाल पासवान एवं अन्यविपक्षीगण</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह अपीलवाद, अपीलकर्ता द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, त्रिवेणीगंज के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-40/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2012 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।</p> <p>उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि खाता संख्या 386 पुराना खेसरा संख्या 4157 नया खेसरा 4485 रकबा 12 डी0 मौजा गोनहा थाना त्रिवेणीगंज जिला सुपौल की जमीन केवाला के द्वारा ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल पिता हीरा लाल अग्रवाल से दस्तावेज संख्या- 4158 दिनांक- 9.06.1981 के द्वारा खरीद हैमुताविक खरीदगी अपीलकर्ता के नाम से दाखिल खरिज हो गया है। अपीलकर्ता पहले बटाईदार के हैसियत से दखलकार थे वाद में खरीददार के हैसियत से दखलकार हैं, जिसपर घर मकान भी खेसरा संख्या- 4157 पर अपीलकर्ता का है, इसी आधार पर निम्न न्यायालय में अपना दावा लाये थे।</p> <p>अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि (रकबा 12 डि० सहित) वर्ष 1981 में क्रय किये गए कुल भूमि 1 एकड़ 41 डि० जिसमें खाता सं० 386/434 नया तथा खेसरा सं० 4157 (पुराना)/4485 नया रकबा 12 डि० के लिए अंचलाधिकारी के न्यायालय ने नमानान्तरण वाद सं० 557/87-88 लाये थे तदनुसार उनका जमाबन्दी नं० 33 कायम है जिसका अद्यतन रसीद 2007-08 से 2014-15 तक निर्गत है जो अभिलेख के साथ संलग्न है, देखा गया। अपीलार्थी</p>	




द्वारा मात्र 12 डि० भूमि पर वाद लाया गया है। वस्तुतः निम्न न्यायालय द्वारा जमाबन्दी इनका कायम हुआ है उसे छोड़ दिया गया है।

प्रत्यार्थी विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन पर 12 वर्षों से ज्यादा समय से दखलकार है एवं इन्दिरा आवास बनाया जा चुका है। विपक्षी भूमिहीन है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के नाम से कोई जमाबन्दी नहीं है, वस्तुतः अभिलेख पर उपलब्ध कागजात जिसकी सम्पुष्टि नहीं करता है।


निम्न न्यायालय में इन्हीं सब कागजातों के आधार पर सुनवाई की है और किसी तरह का स्थल जाँच इस वाद में नहीं किया गया है।

विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि के 12 डि० जमीन पर इन्दिरा आवास निर्मित वर्ष 1992 से ही बताया गया है, बी०पी०पी०एच०टी० एक्ट 1947 के तहत पर्चा पर कार्यवाई हो यह निर्विवाद है। फिर भी इन्दिरा आवास निर्माण में सरकारी धन लगा है तो इसके पूर्व किस कर्मि द्वारा भूमि सम्बन्धी प्रतिवेदन दिया गया है, इसकी स्थल जाँच सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी करवाकर अपेक्षित कार्यवाई हेतु प्रतिवेदन दें। वस्तुतः वासगीत/ बी०पी०पी०एच०टी० पर्चा निर्गत होने के पश्चात् ही इन्दिरा आवास का निर्माण होना है, इसके लिए विपक्षी दोषी नहीं माने जा सकते हैं। स्थल जाँच से विपक्षीगण भूमिहीन श्रेणी में पाये गये तथा इन्दिरा आवास निर्मित है तो इसका मुआबजा भूधारी को मिलना चाहिए। इस हद तक निम्न न्यायालय के आदेश में संशोधन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


15.9.14
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।


15.9.14
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।